(143)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 216–एक/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 710–92–93 अपील

1– हरिनाथप्रसाद 2– लालमणि
3– रमेशकुमार 4– रावेन्द्रप्रसाद
चारों पुत्रगण केमलाप्रसाद
5– श्रीमती एकसिया पत्नि स्व.केमलाप्रसाद
सभी ग्राम रामगढ़ तहसील गोपदबनाम
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

गजेन्द्रप्रसाद पुत्र रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा
ग्राम रामगढ़ तहसील गोपदबनास जिला सीधी ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 11–8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 710–92–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील गोपद बनास के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम रामगढ़ के भूमिस्वामी छोटानी की मृत्यु हो चुकी है जिन्होंने अपने जीवनकाल में एक बसीयतनामा कराया है जिसके आधार पर मृतक भूमिस्वामी के हिस्सा 1/7 पर उसका नामान्तरण

किया जाय। जिस पर से तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 49 अ-6/83-84 पंजीबद्व हुआ तथा आदेश दिनांक 7-4-86 पारित करके अनावेदक का नामांत्रण किया गया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 179 अ-6/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-9-92 से अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 710-92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-2008 से अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास का आदेश दिनांक 28-9-92 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण करना चाहे, किन्तु आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की, जिसकी प्रति अनावेदक के अभिभाषक को दी गई एंव अपेक्षा की गई कि वह एक सप्ताह में लेखी बहस प्रस्तुत कर दें, किन्तु उनकी ओर से आदेश पारित होने तक लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव निगरानी मेमो के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने अपील प्रकरण कमांक 179 अ-6/85-86 में पारित आदेश दिनांक 28-9-92 से तहसील न्यायालय का आदेश इसलिये निरस्त किया है क्योंकि तहसील न्यायालय में मूल बसीयत प्रस्तुत नहीं हुई अपितु बसीयत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। जब बसीयत के प्रमाणित किये जाने के संबंध में ग्रामीणों की साक्ष्यांकित की गई है एंव बसीयत साक्षीगण के कथनों से प्रमाणित हुई है, तब अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष विसंगतिपूर्ण है कि मूल बसीयत प्रस्तुत न होने के कारण विचारण न्यायालय व्दारा बसीयत को प्रमाणित मानना त्रृटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा व्दारा आदेश दिनांक 16–1–08 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि बसीयतकर्ता की मृत्यु के लगभग 7 वर्ष वाद बसीयत के आधार पर विलम्ब से नामान्तरण चाहा गया है जिससे प्रथम दृष्टया बसीयनामा संदिग्ध है। यदि इस बिन्दु पर दोनों पक्षों के दावों पर विचार किया जाय – जब मृतक खातेदार 7 वर्ष पूर्व मर चुका है तब आवेदकगण ने स्वस्तर से नामान्तरण कार्यवाही की पहल क्यों नहीं की , अनावेदक व्दारा बसीयत के आधार पर 7 वर्ष उपरांत नामान्तरण आवेदन देने पर आवेदकगण आपत्ति प्रस्तुत करते हुये नामान्तरण स्वयं किये जाने की आपत्ति कर रहे हैं – संदेह उत्पन्न करता है। जहॉ तक मृतक छोटानी व्दारा धारित कृषि भूमि पैत्रिक होने एंव उस पर आवेदकगण का स्वत्व पहुंचने का प्रश्न है – स्वत्व संबंधी मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 710–92–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2008 में निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 710–92–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर